



राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम  
NCDC  
Assisting Cooperatives. Always!  
सहकारिताओं की सहायता में सदैव तत्पर!



राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम  
National Cooperative Development Corporation  
सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक सांविधिक संस्था  
An Statutory Institution under Ministry of Cooperation, Govt. of India  
क्षेत्रीय निदेशालय, गांधीनगर Regional Directorate, Gandhinagar  
सेक्टर-16, घ-रोड, गांधीनगर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पीछे, गुजरात - 382  
016, फ़ोन नंबर: 079-23222293

अधिकृत अधिकारी: श्री संजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, सेक्टर-16, गांधीनगर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पीछे, गुजरात - 382016, मोबाइल नंबर: 93117 65340, ईमेल ID: ro.gandhinagar@ncdc.in  
**सरफेसी अधिनियम, २००२ के तहत अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री नोटिस सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ८ (६) के प्रावधान के साथ पढ़ा जाए**

आम जनता को, और विशेष रूप से उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं को, इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लिखित संपत्तियाँ, जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित हैं—और जिनका सांकेतिक कब्ज़ा, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है—उन्हें 30.04.2026 को "जैसा है जहाँ है, जैसा है वैसा है, जो कुछ भी है और बिना किसी उपाय के" (As is where is basis, As is what is basis, Whatever there is & Without Recourse) के आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा। यह बिक्री, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता संगठन, अध्यक्ष और बंधककर्ताओं से सुरक्षित लेनदार के बकाए की वसूली के लिए की जाएगी।

ऋणी संगठन का नाम, निदेशक एवं बंधककर्ता	बिक्री/नीलामी हेतु सुरक्षित संपत्तियों का विवरण
<p><b>उधारकर्ता :</b> सूरत वनकर सहकारी संघ लिमिटेड, तीसरी मंजिल, वनकर संघ बिल्डिंग, सामने। रेशमवाला मार्केट, रिंग रोड, सूरत-395003., जिला-सूरत, गुजरात</p> <p><b>अध्यक्ष:</b> श्री रजनीकांत बचकानीवाला (मोबाइल) 9898500610</p>	<p>मौज दीनोद, तालुका मांगरोल, पंजीकरण उप-जिला मांगरोल और जिला सूरत-गुजरात में स्थित गैर-कृषि भूमि का वह संपूर्ण भाग और टुकड़ा, जिसका विवरण इस प्रकार है: (i) ब्लॉक संख्या 128, राजस्व सर्वेक्षण संख्या 100 और 118, जिसका क्षेत्रफल 31,869 वर्ग मीटर है; (ii) ब्लॉक संख्या 129, राजस्व सर्वेक्षण संख्या 117, जिसका क्षेत्रफल 6,778 वर्ग मीटर है; और (iii) ब्लॉक संख्या 139, राजस्व सर्वेक्षण संख्या 119, जिसका क्षेत्रफल 15,221 वर्ग मीटर है। इसके साथ ही, उधारकर्ता की समस्त चल संपत्तियां भी शामिल हैं, जिनमें चल प्लांट और मशीनरी, फैक्ट्री भवन, गोदाम और उस पर किए गए सभी सिविल निर्माण शामिल हैं।</p>
मांग नोटिस तिथि और राशि	मांग नोटिस दिनांक-22.04.2024 ₹ 86,53,42,265.00 और उस पर अतिरिक्त ब्याज और शुल्क।
कब्ज़ा तिथि और कब्ज़ा प्रकार	01.07.2024 (प्रतीकात्मक कब्ज़ा)
संरक्षित कीमत	₹54,90,00,000/- (रुपये चौवन करोड़ नब्बे लाख केवल)
बयाना राशि जमा (ईएमडी)	₹5,49,00,000/- (रुपये पांच करोड़ उनचास लाख केवल)
बोली वृद्धिशील कीमत	₹10,00,000/- (रुपये दस लाख केवल)
ई- की तिथि एवं नीलामी समय	30.04.2026 दोपहर 02.00 बजे से 04.00 बजे तक बजे
दिनांक एवं निरीक्षण समय	23.04.2026 सुबह 10.00 बजे से 4.00 बजे तक बजे
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	28.04.2026 शाम 06:00 बजे तक
नीलामी बिक्री/बोली होगा होना संचालित केवल के माध्यम से वेबसाइट <a href="https://www.bankeauctionwizard.com">https://www.bankeauctionwizard.com</a> 5 मिनट के असीमित एक्सटेंशन के साथ।	

### नियम एवं शर्तें

- सुरक्षित संपत्तियों को "जैसा है, जहाँ है; जैसा है, वैसा है; जो कुछ भी है; और बिना किसी उपाय के" आधार पर बेचा जाएगा, और उन्हें आरक्षित मूल्य से कम कीमत पर नहीं बेचा जाएगा।
- बोलियां प्रस्तुत करने से पहले, बोलीदाता ऊपर उल्लिखित पते/नंबर से बिक्री, नियम एवं शर्तों, बोली प्रपत्र और बोली प्रक्रिया का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। ई-नीलामी में भाग लेकर, बोलीदाता सुरक्षित संपत्ति की स्थिति, विवरण या शीर्षक के संबंध में सभी आपत्तियों को छोड़ देते हैं।

3. बोलीदाताओं को सुरक्षित संपत्तियों से संबंधित अधिकारों, शीर्षक, ब्याज, भार और बकाया के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करना होगा। बोलियां प्रस्तुत करने के बाद किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. सशर्त बोलियों को अमान्य माना जाएगा। बोलियों के संबंध में प्रस्तुति के बाद किसी भी प्रकार के संशोधन या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. अधिकृत अधिकारी को उसके ज्ञान और जानकारी के आधार पर किसी भी प्रकार की बाधा/बोझ की जानकारी नहीं है। बोलीदाताओं को स्वतंत्र पृष्ठताछ करनी होगी। ई-नीलामी नोटिस एनसीडीसी द्वारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है। सुरक्षित परिसंपत्तियों को सभी मौजूदा और भविष्य के ऋणों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ज्ञात हों या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायाओं के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे।
6. स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, स्थानांतरण शुल्क और सभी संबंधित व्यय केवल क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे।
7. सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित सभी वैधानिक और गैर-वैधानिक बकाया, कर, दरें, मूल्यांकन और शुल्क क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे।
8. बोली लगाने वाले M/s Antares Systems Limited से ऑनलाइन बोली लगाने की ट्रेनिंग/सहायता ले सकते हैं। अगर ई-नीलामी प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान कोई दिक्कत आती है या सहायता की ज़रूरत होती है, तो वे ई-नीलामी सेवा प्रदाता के अधिकृत प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क विवरण: श्री कुशल बोस, मोब: 9674758719, मेल ID: kushal.b@antaressystems.com. वेंडर हेल्प डेस्क: 9073677150/ 9073677151/ 9073677152 |
9. विस्तृत शर्तें <https://www.bankeauctionwizard.com> और <https://www.ncdc.in> पर उपलब्ध हैं।
10. EMD और KYC दस्तावेज़ 28.04.2026 को या उससे पहले, शाम 06:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के पास पहुँच जाने चाहिए।
11. बोली मूल्य आरक्षित मूल्य से अधिक होना चाहिए और वृद्धिशील बोलियां ₹10,000,00/- (दस लाख रुपये मात्र) के गुणकों में होनी चाहिए।
12. ईएमडी RTGS/NEFT के माध्यम से खाता संख्या 32164052874, IFSC SBIN0004298, भारतीय स्टेट बैंक, कमर्शियल ब्रांच, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में जमा किया जाएगा।
13. सफल बोलीदाता को ई-नीलामी में बताई गई अंतिम बोली की कीमत, बिना किसी नई शर्त के, जमा करनी होगी। बोली की राशि का 25% (EMD सहित) उसी दिन, या ज़्यादा से ज़्यादा अगले कार्य दिवस तक, निर्धारित बैंक कलेक्शन खाते में जमा करना होगा: 32164052874 IFSC: SBIN0004298। निर्धारित समय के भीतर 25% राशि जमा न करने पर, बिना किसी सूचना के EMD ज़ब्त कर ली जाएगी।
14. बाकी 75% 15 दिन के भीतर भुगतान किया जाना होगा अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप में दी गई विस्तारित समयावधि (यदि कोई हो) के भीतर करना होगा। विफलता के परिणामस्वरूप बिना किसी सूचना के जमा की गई पूरी राशि ज़ब्त कर ली जाएगी और सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा।
15. बिक्री पुष्टिकरण सलाह संतोषजनक केवाईसी सत्यापन और औपचारिकताओं के पूरा होने के अधीन जारी की जाएगी। जल्दी के मामले में, चूककर्ता बोलीदाता का संपत्ति या ज़ब्त की गई राशि पर कोई दावा नहीं होगा।
16. असफल बोलीदाताओं की ईएमडी होगी बिक्री प्रक्रिया बंद होने के बाद ब्याज, लागत, व्यय या अन्य शुल्क के बिना वापस कर दिया जाएगा।
17. बिक्री प्रमाणपत्र पूर्ण बिक्री प्रतिफल और बिक्री की पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही जारी किया जाएगा और केवल सफल बोलीदाता के नाम पर ही जारी किया जाएगा और किसी अन्य नाम से नहीं।
18. यह बिक्री वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और उससे संबंधित नियमों के अंतर्गत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी।
19. सक्षम न्यायालय द्वारा किसी स्थगन आदेश के मामले में, नीलामी को बिना किसी पूर्व सूचना के तथा प्रतिभागियों के प्रति क्षति या मुआवजे की देयता के बिना स्थगित या रद्द किया जा सकता है।
20. बोलियों, ईएमडी, पात्रता या शर्तों की व्याख्या से संबंधित किसी भी विवाद के मामले में, प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। एनसीडीसी अपने विवेकानुसार संपत्ति की बिक्री रद्द कर सकता है और पुनः नीलामी कर सकता है।
21. केवल इच्छुक बोलीदाताओं या उनके विधिवत् अधिकृत प्रतिनिधियों को ही भाग लेने की अनुमति होगी। प्राधिकार बोली के साथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
22. उधारकर्ता संगठन, उसके निदेशकों और बंधककर्ताओं को नीलामी में भाग लेने की अनुमति है।
23. बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पुष्टि के अधीन है।
24. अधिकृत अधिकारी के पास किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, अथवा बिना कोई कारण बताए नीलामी को स्थगित या रद्द करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
25. सफल बोलीदाता को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-IA के तहत 1% TDS का भुगतान करना होगा और इसका प्रमाण प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
26. लंबित न्यायालयीय मामले: डीआरटी अहमदाबाद में SA404/2025 और उच्च न्यायालय अहमदाबाद में SCA संख्या 12330/2024

**सिक्वोरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के तहत 15 दिनों का  
वैधानिक बिक्री नोटिस**

ऋणी संगठन/निदेशकों/बंधककर्ता को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तारीख से पहले, ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान अद्यतन ब्याज और अन्य संबंधित खर्चों सहित कर दें; ऐसा न करने पर, उपर्युक्त संपत्तियों की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और यदि कोई शेष बकाया राशि बचती है, तो उसे ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

**विशेष निर्देश और सावधानी**

बोली लगाने वालों को अपने ही हित में, आखिरी मिनटों या सेकंडों में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में, वेंडर की तरफ से किसी भी चूक या विफलता (जैसे इंटरनेट फेल होना, बिजली जाना वगैरह) के लिए न तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और न ही सर्विस प्रोवाइडर जिम्मेदार होंगे। ऐसी अचानक आने वाली स्थितियों से बचने के लिए, बोली लगाने वालों से अनुरोध है कि वे सभी ज़रूरी इंतज़ाम या विकल्प (जैसे बैक-अप बिजली सप्लाई और जो भी ज़रूरी हो) पहले से ही कर लें, ताकि वे ऐसी स्थितियों से निपट सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक हिस्सा ले सकें।

दिनांक: 07/04/2026  
स्थान: गांधीनगर

(संजय कुमार)  
अधिकृत अधिकारी  
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम(NCDC)